रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 718] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2000/कार्तिक 16, 1922
No. 718] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2000/KARTIKA 16, 1922

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2000

का. आ. 992 (अ).—(उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के भाग VII, VIII और IX के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना)।

1. जबकि नियत दिन से उत्तरांचल के नए राज्य का सृजन होने के बाद, जल-आपूर्ति अथवा विद्युत सृजन की परियोजनाएं आंशिक रूप से उत्तरांचल में और आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में आ सकती हैं।

2. और जबकि यह आवश्यक है कि जब तक इस अधिनियम की धारा 80 के अन्तर्गत गंगा प्रबंधन बोर्ड का सृजन नहीं हो जाता अथवा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के उत्तरवर्ती राज्यों को जल आपूर्ति सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए।

3. अब, इसलिए इस अधिनियम की धारा 64 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि :—

(क) हैड वर्क्स (बाँधों, बैराजों, नियामकों, जलाशयों) के प्रशासन, निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के संबंध में तथा संबंधित राज्य को जल आपूर्ति करने के लिए आवश्यक नहर नेटवर्क के हिस्से संबंधी विद्यमान व्यवस्थाओं को तब तक जारी रखा जाये जब तक कि गंगा प्रबन्धन बोर्ड का गठन नहीं हो जाता है अथवा जब तक भारत सरकार द्वारा इस संबंध में और निदेश जारी नहीं किए जाते हैं।

(ख) मुख्य अभियंता, उत्तराखंड द्वारा प्रबंधन की जा रही परियोजनाओं का प्रबंधन उत्तर प्रदेश के नए राज्य के किसी भी क्षेत्र को कोई नुकसान पहुँचाए बिना यथावत् जारी रहेगा।

(ग) अधिनियम के भाग II के प्रावधान के आधार पर नए उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाली उपरोक्त मद 3-ख के अन्तर्गत शामिल परियोजनाओं के अतिरिक्त मौजूदा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख अभियन्ता द्वारा प्रबंधन की जा रही जल संसाधन परियोजनाओं की देख-रेख नये उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मौजूदा व्यवस्था के अनुसार नये उत्तरांचल राज्य के किसी भी क्षेत्र को कोई नुकसान पहुंचाए बिना जारी रहेगा।

(घ) नया उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्युत शक्ति की आपूर्ति के सृजन अथवा किसी क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति के लिए किसी परियोजना के प्रशासन, निर्माण, रखरखाव और प्रचालन के संबंध में व्यवस्था में इस तथ्य के आधार पर कि भाग II के प्रावधानों के अनुसार यह राज्य के बाहर है जहां ऐसी विद्युत की आपूर्ति के सृजन के लिए विद्युत गृह तथा अन्य संस्थापना अथवा आच्छाद क्षेत्र, जलाशयों, नहर नेटवर्क और जल आपूर्ति के वास्ते अन्य कार्य, जैसी भी स्थिति हो, स्थित हैं, उस क्षेत्र के लिए हानिकारक कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

(ङ) यदि इस अधिसूचना के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई आती है तो केन्द्र सरकार जहां कहीं आवश्यक हो प्रत्येक नए राज्य की सरकार से परामर्श करने के बाद संबंधित राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी को प्रशासन, निर्माण (हटाना सहित), रखरखाव तथा प्रचालन नियत तिथि से पहले तत्काल पूर्व व्यवस्था के प्रचालन के लिए निदेश दे सकती है।

ये आदेश 9 नवम्बर, 2000 से लागू होंगे।

[फा. सं. 10-19/2000-ल.सि.]

पी.सी. माथुर, आयुक्त (परियोजना)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2000

S.O. 992 (E).—(Notification issued in exercise of powers conferred under Part VII, VIII and IX of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000).

1. Whereas, after the creation of the new State of Uttaranchal from the Appointed Day, projects for supply of water, or for generation of electricity may fall partly in Uttaranchal and partly in Uttar Pradesh,

2. And whereas it is necessary that till the Ganga Management Board under Section 80 of the Act is created or alternative arrangements made, the present arrangements in regard to supply of water to the successor States of Uttar Pradesh and Uttaranchal, are not disturbed,

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 64 of the Act, it is hereby directed that:

(A) The present arrangements in regard to the administration, construction, maintenance and operation of Head works(dams, barrages, regulators, reservoirs) and part of canal network necessary to supply water to the state concerned be continued till the constitution of the Ganga Management Board or till further directions in this regard are issued by the Government of India.

(B) The projects being managed by the Chief Engineer, Uttarakhand shall continue to be managed as before without any disadvantage to any area of the successor State of Uttar Pradesh.

(C) The Water Resources Projects being managed by the Engineer-in-Chief of the existing State of Uttar Pradesh other than those covered under item 3-B above falling in geographical area of the successor State of Uttaranchal by virtue of the provision of Part II of the Act, shall continue to be looked after as per the existing arrangement by the successor State of Uttar Pradesh without any disadvantage to any area of successor State of Uttaranchal.

(D) The successor State of Uttar Pradesh and Uttaranchal shall ensure that the arrangement in regards to the generation of supply of electric power, or the supply of water for any area or in regards to the administration, construction, maintenance and operation of any project for such generation or supply shall not be modified to the disadvantage of that area by reason of fact that it is, by virtue of the provisions of Part II, outside the state in which the power station and other installation for generation of supply of such power or the catchment area, reservoirs, canal network and other works for the supply of water, as the case may be, are located.

(E) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Notification, the Central Government may, after consultation with the Government of each successor State, wherever necessary, give such directions as it deems proper to the State Government or other authority concerned, for the administration, construction (including removal), maintenance and operation of the previous arrangement immediately before the appointed day.

These orders will come into force from 9 Nov., 2000.

[F. No. 10-19/2000-MI]

P.C. MATHUR, Commissioner (Projects)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.